# न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :— 134 / 2021

वादी
1. भेनदास पुत्र नवदास
जाति साध निवासी जालीखेड़ा तहसील गुड़ामालानी हाल निवासी बागोड़ा तहसील बागोड़ा जिला जालोर

बनाम

प्रतिवादीगण
1. भेराराम पुत्र फगलूराम
2. भागीरथराम पुत्र लालाराम
3. बाबूलाल पुत्र लालाराम
4. मीरादेवी पत्नी लालाराम
5. जगदीश पुत्र जयकिशन
6. मोहनीदेवी पत्नी जयकिशन
जाति विश्नोई निवासी जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी
7. खीमदास पुत्र हडुमानदास
8. खेताराम पुत्र हडुमानदास
9. लक्ष्मणदास पुत्र हडुमानदास
10. रमेशकुमार पुत्र हडुमानदास
11. मु. हीरा पत्नी हडुमानदास
जाति साध निवासी जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी

प्रतिवादी संख्या 7 से 11 औपचारिक पक्षकार

12. मंछदास पुत्र रूगदास
जाति साध निवासी जालीखेडा हाल निवासी गुडाहेमा तहसील चितलवाना
13. मैंनेजर एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
14. मैनेजर शाखा आर.एम.जी.बी. गुड़ामालानी
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा खातेदार एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 207, 209, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :—
1. श्री हरीश चौधरी अधिवक्ता वादी

**—:: निर्णय ::—**

दिनांक :— 23-9-22

वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 207, 209, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जालीखेडा तहसील गुड़ामालानी में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 तथा 7 से 11 की सामलाती खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 88—16 बीघा का आया हुआ ... भू—प्रबन्ध उक्त खेत खसरा संख्या 73 रकबा 88—16 बीघा ग्राम ... उदा पुत्र चतरदास हिस्सा 1/2 व रूगा, ... हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज हुआ। इस वादग्रस्त आराजी के हिस्सा 1/2 के सहखातेदार ... पुत्र चतरदास के देहान्त होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसकी पुत्रियों मलू व नेहरों के पक्ष में तस्दीक हुआ जिन्होंने अपना हिस्सा 1/2 हडुमानदास संत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

को बेचान कर दिया यह बेचान निर्विवाद है तथा वादी को इस हस्तान्तरण बाबत कोई आपत्ति नहीं है, केता हनुमानदास फौत हो गया है, प्रतिवादीगण संख्या 7 से 11 उसके वारिसान हैं, जिनके विरूद्ध वादी ने कोई सहायता नहीं चाही है, प्रतिवादी संया 7 से 11 वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार होने से तथा वादी द्वारा अपना हिस्सा पृथक किये जाने की सहायता मांगी जाने के कारण आराजी के सहखातेदार प्रतिवादीगण संख्या 7 से 11 को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त आराजी का हिस्सा 1/2 वादी नेना तथा वादी के बडे भाई रूगा प्रतिवादी संख्या 12 के पिता स्व. रूगादास का रेकर्ड में दर्ज हुआ इस हिस्सा 1/2 में हिस्सा 1/4 वादी का तथा हिस्सा 1/4 वादी के भाई रूगादास का था, वादी के भाई रूगा ने विना वादी की जानकारी में लाये जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज संख्या 772/1967 से दिनांक 28.12.2067 को वादग्रस्त खेत का सम्पूर्ण हिस्सा 1/2 का पंजीवद्ध बेचान केता भेराराम पुत्र फगलूराम व लालाराम पुत्र लुम्भाराम जाति विश्नोई को बहिस्सा बराबर कर दिया, यह बेचान वादी के भाई रूगादास ने अपने हिस्से के साथ वादी को अव्यस्क बताकर स्वयं को अपने अव्यस्क भाई नेना (नेनदास) का कुदरति संरक्षक बताकर वादी के हिस्से का भी बेचान कर दिया गया जिसका ज्ञान वादी को केता या विकेता द्वारा नहीं कराया गया। उक्त बेचान के उपरान्त भी वादी के पिता नवदास वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहे तथा हिस्सा 1/4 पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के वालिदान केतागण भेराराम व लालाराम काबिज होकर काश्त करने लगे और उन्होंने वादी जो उस समय वयस्क था तथा अपने भाई रूगादास के साथ काश्त करता था को इन केतागण ने रूगादास का हिस्सा पांति पर काश्त करना बताया, करीब बेचान के 3–4 साल पश्चात वादी की जानकारी में आया कि उसके भाई रूगादास ने अपना व अपने भाई वादी का समस्त हिस्सा 1/2 इन केतागण को बेचान कर दिया है तथा इन केतागण ने अपने पक्ष में बेचान का खातेदारी अंकन भी करवा लिया है तब वादी ने अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिये अपने सगे सम्बन्धियों को बुलाकर पंचायती करवाई जिसमें वादी के भाई रूगादास ने वादी के हिस्से की भरपाई रूगादास के हिस्से के अन्य खसरा 165, 173, 187 में से करने का आश्वासन दिया लेकिन वादी ने अपना कब्जा [illegible] की अन्य जमीन प्राप्त करने के पश्चात ही इस भूमि से अपने [illegible] कब्जा छोडने का बचन दिया और अपने 1/4 हिस्से की भूमि पर [illegible] काबिज काश्त रहा। संवत् 2034–2035 के बीच वादी के भाई रूगादास का देहान्त हो गया तथा उसके फौत होने पर खसरा संख्या 165, 173, 187 मौजा जालीखेडा का विरासत का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:34:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

नामान्तरकरण उसके पुत्र मन्शदास प्रतिवादी संख्या 12 ने अपने नाम खुलवाया। वादी ने रूगादास के पुत्र मन्शदास प्रतिवादी संख्या 12 को भी उसके हिस्से की जमीन देने को कहा तो वह भी टालमटोल कर रहा है तथा दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वादी पर कब्जा हटाने का दवाव डाल रहे हैं तथा वादी के पैतृक हिस्से से बलपूर्वक कब्जा हटाने पर उतारू हैं, इसलिये वादी ने यह वाद पत्र अपने हकों की घोषणा व वादी के भाई रूगादास द्वारा अपने हिस्से से अधिक किये गये बेचान को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने के अनुतोष का यह वाद लाना आवश्यक होने पर प्रस्तुत किया गया।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध सम्मन जारी किये गये। बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में PW 1 वादी स्वयं, PW 2 गवाह उदाराम के साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत किये तथा न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर बयान कलमबद्ध करवाये गये। वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोबस्त, प्रदर्श–2 वर्तमान जमाबन्दी, प्रदर्श–3 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–4 पर्चा लगान, प्रदर्श–5 प्रथम खतौनी संवत् 2013–2016, प्रदर्श–6 खतौनी संवत् 2021–2024, प्रदर्श–7 खतौनी संवत् 2036–2039, प्रदर्श–8 खतौनी संवत् 2061–2064, प्रदर्श–9 गिरदावरी रसीद संवत् 2019, प्रदर्श–10 बेचान दस्तावेज विक्रय पत्र संख्या 772/1967 दिनांक 28.12.1967, प्रदर्श–11 म्यूेशन संख्या 31 वाद के समर्थन में प्रदर्शित करवाये गये।

हमने वकील वादी से बहस सुनी पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। PW 1 वादी नेनदास ने अपने बयानों में कथन किया है कि वक्त भू–प्रबन्ध मेरी उम्र 24 वर्ष थी तथा भू–प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा जारी पर्चा लगान खतोनी बन्दोबस्त अनुसार तहसील गुड़ामालानी [illegible] ग्राम जालीखेडा के खेत खसरा संख्या 73 रकबा 88–16 [illegible] रदास का 1/2 हिस्सा तथा रूगा और नेना (नैनदास) [illegible] नवदास का 1/2 हिस्सा की वक्त भू–प्रबन्ध के समय कब्जा काश्त [illegible]ुसार खातेदारी दर्ज हुई जो पर्चा लगान एवं खतोनी बंदोबस्त से सिद्ध है मेरा उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा है जिसकी खातेदारी घोषणा का यह वाद पेश किया है। आगे अपने बयानों में कथन किया है कि मेरे भाई रूगादास ने अपने हिस्से 1/4 के साथ साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

मुझ वादी को अवयस्क बताकर स्वयं रूगादास को अपने अवयस्क भाई नेनदास का कुदरती संरक्षक बताकर मुझ वादी के 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान कर दिया गया जबकि बेचान के समय मुझ वादी की उम्र 37 साल की थी इसलिये उक्त बेचाननामा 772/1967 दिनांक 28.12.1967 अपनेआप में शून्य है। वादी बेचान से पाबन्द नहीं है। आगे कथन किया कि उपरोक्त अधिकारों के आधार पर विवादित आराजी मौजा जालीखेडा खसरा संख्या 73 रकबा 88–16 बीघा भूमि वादी के भाई स्व0 रूगादास द्वारा जो हिस्सा 1/2 का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 भेराराम तथा उसके भाई लालाराम को दिनांक 28.12.1967 को किया है वह पंजीवद्ध बेचान दस्तावेज 772/1967 वादी के हिस्से 1/4 तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित करवाकर अपने हिस्से 1/4 की खातेदारी घोषणा का अधिकारी है। PW 2 गवाह उदाराम पुत्र बजरंगदास उम्र 64 साल ने अपने बयानों में कथन किया है कि वादी नेनदास व रूगादास को जानता हूँ, वादी द्वारा यह वाद सही व सत्य तथ्यों के आधार पर पेश किया है, वक्त भू–प्रबन्ध वादी की उम्र 24 साल थी, ग्राम जालीखेडा के खसरा नम्बर 73 रकबा 88–16 बीघा भूमि खातेदार उदा पुत्र चतरदास का 1/2 हिस्सा तथा रूगा और नेना पिता नवदास का 1/2 हिस्सा वक्त भू–प्रबन्ध के समय कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी में दर्ज हुए जो पर्चा लगान एवं खतौनी बंदोबस्त से प्रमाणित है, वादी का इस भूमि में 1/4 हिस्सा है। वादी नेनदास के भाई रूगादास ने वादी नेनदास को अवयस्क बताते हुए अपने 1/4 हिस्से के साथ–साथ वादी नेनदास का 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 1 भेराराम तथा उसके भाई लालाराम को कर दिया जबकि वादी नेनदास की उम्र वक्त बेचान 37 साल की थी, वादी नेनदास के भाई रूगादास द्वारा किया गया उक्त बेचान वादी के 1/4 हिस्से तक अवैध व निष्प्रभावी व शून्यकरणीय है। वादी उक्त आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 खतौनी बन्दोवस्त, प्रदर्श–5 प्रथम खतौनी संवत् 2013–2016, प्रदर्श–6 खतौनी संवत् 2021–2024 ग्राम जालीखेडा के खसरा नम्बर 73 की [illegible] 88–16 बीघा कॉलम संख्या 4 में उदा वल्द चतरदास हिस्सा 1/2 [illegible] नवाराम हिस्सा 1/2 कौम साद सा. देह बतौर खातेदार दर्ज है, इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी नेनदास उक्त विवादित आराजी में 1/4 हिस्से की भूमि का रेकर्डेड खातेदार है। प्रदर्श–10 बेचान दस्तावेज संख्या 772/1967 दिनांक 28.12.1967 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वादी नेनदास के भाई रूगादास द्वारा इस बेचाननामा में वादी नेनदास को अवस्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

बताकर उसका स्वयं संरक्षक बनकर अपने 1/4 हिस्से के साथ–साथ वादी नेनदास के हिस्से 1/4 अर्थात 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है। जबकि अवलोकन दस्तावेजात एवं गवाहान के बयानों के अनुसार वक्त बेचान वादी नेनदास की उम्र 37 साल थी, अर्थात वादी नेनदास वक्त बेचान बालिग था।

अब इस न्यायालय को तय यह करना है कि क्या वादी ग्राम जालीखेडा के खसरा नम्बर 73 की भूमि रकबा 88–16 बीघा की भूमि का प्रदर्श–10 बेचान दस्तावेज संख्या 772/1967 दिनांक 28.12.1967 द्वारा वादी के भाई रूगादास द्वारा वादी का संरक्षक बनकर वादी के हिस्से 1/4 की भूमि का बेचान शून्य व निष्प्रभावी कराकर हिस्सा 1/4 अपनी खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी हैं? वकील वादी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त मनोहरी बनाम घासीराम 2000 आर.आर. डी. 391 में यह अभिमत दिया गया है कि – "धारा 88, 92ए, 188 और 207–राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के विरूद्ध रिवीजन–स्वीकृत– इस प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या दावा मुख्य रूप से विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिये लाया गया है अथवा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये लाया गया? वाद पत्र में यह पाया है कि दावा मुख्य रूप से घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के लिये ही लाया गया है ना कि विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिये। यद्यपि वाद पत्र में विवादित विक्रय पत्र दिनांक 11.05.1988 को फर्जी बताया गया है परन्तु फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर वादकरण उत्पन्न होना बताया गया है। वादी ने वाद पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि उक्त विक्रय पत्र तथा उसके आधार पर खोला गया नामान्तरकरण बमुकाबले वादी को बेअसर है। वाद पत्र के अंतिम पैराग्राफ में दादरसी जो चाही गई है, उसके अवलोकन से भी स्पष्ट होता है कि मुख्य रूप से घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाहता है, परन्तु घोषणा के लिये ही वह विक्रय पत्र व नामान्तरकरण को बेसर घोषित कराना चाहता है। दावे का मुख्य उद्देश्य विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित कराना प्रतीत नहीं होता है। अब यदि ऊपर विवेचित किये पूर्व निर्णयों के प्रकाश में इस प्रकरण को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रक[illegible]नवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त [illegible] है क्योंकि इस [illegible] में वादी द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रतिवादी ने जो विक्रय पत्र अपने हक में विवादित भूमि के सम्बन्ध में निष्पादित होना बताया है, वह वादी ने निष्पादित नहीं किया है, वरन् किसी अन्य फर्जी व्यक्ति ने निष्पादित किया है। वादी मुख्य रूप से घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी चाहता है एवं दादरसी को प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) गुड़ामालानी

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुड़ामालानी

करने के लिये कथित विक्रय पत्र को प्रभाव शून्य घोषित कराना इसिडेंटल रूप से चाहता है। ऐसे मामले में ऊपर किये गये विवेचन व पूर्व निर्णयों के आधार पर श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को होना चाहिये, ना कि सिविल न्यायालय को अतः निगरानी स्वीकारी गई।" उक्त न्यायिक दृष्टान्त वादी के वाद पत्र पर पूर्णतया चस्पा होता है क्यूकि वादी के भाई रूगादास द्वारा वादी को दिनांक 28.12.1967 को अवयस्क बताकर तथा स्वयं को वादी का संरक्षक स्थापित कर वादी के हिस्से की भूमि का बेचान किया गया है जबकि वक्त बेचान दिनांक 28.12.1967 को वादी की उम्र 37 साल होने से वादी वयस्क था तथा अपने हिस्से की भूमि का निस्पादन करने हेतु वादी स्वयं सक्षम व स्वतंत्र था, इस प्रकार वादी को धोके में रखकर वादी के भाई रूगा द्वारा किया गया उक्त बेचान प्रारम्भ से ही निष्प्रभावी प्रतीत होता है। अर्थात वादी के भाई रूगादास को वादी के हिस्से 1/4 भूमि का बेचान करने का कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नहीं था।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर रूगा वल्द नवाराम वजात खुद व बहेसियत वली नाबालिग नेना वल्द नवाराम कौम साध साकिन जालीखेडा द्वारा ग्राम जालीखेडा के खेत खसरा संख्या 73 रकबा 88–16 बीघा भूमि के हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी संख्या 1 भेराराम तथा उसके भाई लालाराम को उपपंजीयक बाड़मेर के पंजीवद्ध दस्तावेज संख्या 772/1967 दिनांक 28.12.1967 द्वारा किया गया बेचान वादी के 1/4 हिस्से तक प्रभाव शून्य घोषित किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा जालीखेडा के खेत खसरा नम्बर 73 रकबा 88–16 बीघा भूमि में वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिकरी पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23/9/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:54:51 IST
Reason: SelfAttested

( प्रमोद कुमार )
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) गुडामालानी

सहायक कलक्टर (SDO) गुडामालानी (बाड़मेर)